

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

## छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई 2020 — आषाढ़ 23, शक 1942

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

### अधिसूचना

संख्या 48/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(83). - राज्य सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (7 का 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर परिषद की सिफारिशों, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 27 मई 2020 से प्रवृत्त माने जायेंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है:

परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 मई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 37 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(83). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(83), दिनांक 06-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 6th July 2020

#### NOTIFICATION

No. 48/2020 – State Tax

No. F 10-61/2020/CT/V(83). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall deemed to have come into force on 27th day of May, 2020.
2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 26 in sub-rule (1), for the second proviso, following provisos shall be substituted, namely: -

“Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in FORM GSTR-3B verified through electronic verification code (EVC).

Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 27th day of May, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the details of outward supplies under section 37 in FORM GSTR-1 verified through electronic verification code (EVC).”.

By the order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

## अधिसूचना

संख्या 50/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक.यांच(84). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2020 है ।  
(2) ये 01 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त माने जायेंगे।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 में, तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

## "तालिका

| क्रमसंख्या | धारा जिसके तहत संयुक्त उधग्रहण का विकल्प चुना गया है | पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग                                                                                                                                         | कर की दर                                                               |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1)        | (1क)                                                 | (2)                                                                                                                                                                   | (3)                                                                    |
| 1.         | धारा 10 की उपधारा(1) या (2)                          | ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, भिन्न विनिर्माता                                                                                               | राज्य में कारोबार का आधा फीसदी                                         |
| 2.         | धारा 10 की उपधारा (1) या (2)                         | अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार                                                                                            | राज्य में कारोबार का ढाई फीसदी                                         |
| 3.         | धारा 10 की उपधारा (1) या (2)                         | धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधों के अधीन संयुक्त उधग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार                                                                       | राज्य में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी |
| 4.         | धारा 10 की उपधारा (2 क)                              | पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त उधग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन धारा 10 के उप-धारा (2 ए) के तहत कर सदाय का चयन करने के लिए पात्र हैं। | राज्य में माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का तीन फीसदी।" ।      |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक.मांच(84) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक.मांच(84), दिनांक 06-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 6th July 2020

NOTIFICATION  
No. 50/2020 – State Tax

No. F 10-61/2020/CT/V(84) - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2020.  
(2) They shall deemed to have come into force with effect from the 01st day of April, 2020.
2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :-

“TABLE

| Sl. No. | Section under which composition levy is opted | Category of registered persons                                                                                                                                  | Rate of tax                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)     | (1A)                                          | (2)                                                                                                                                                             | (3)                                                                                   |
| 1.      | Sub-sections (1) and (2) of section 10        | Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government                                                                      | half per cent. of the turnover in the State                                           |
| 2.      | Sub-sections (1) and (2) of section 10        | Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II                                                                               | two and a half per cent. of the turnover in the State                                 |
| 3.      | Sub-sections (1) and (2) of section 10        | Any other supplier eligible for composition levy under sub-sections (1) and (2) of section 10                                                                   | half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State |
| 4.      | Sub-section (2A) of section 10                | Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10 | three per cent. of the turnover of supplies of goods and services in the State.”      |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

## अधिसूचना

संख्या 51/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(85). -राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर क्रमांक एफ-10-44/2017/वाक/पांच(87) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 256 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

## तालिका

| क्र.सं.<br>(1) | पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग<br>(2)                                                                                            | ब्याज की दर<br>(3)                                                                         | कर अवधि<br>(4)                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1              | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो                                                  | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत | फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020 |
| 2              | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में है | 30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत                    | फरवरी, 2020                              |
|                |                                                                                                                              | 3 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत                   | मार्च, 2020                              |
|                |                                                                                                                              | 6 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत                   | अप्रैल, 2020                             |
|                |                                                                                                                              | 12 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत                 | मई, 2020                                 |

|  |                                                                            |               |
|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 23 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत | जून, 2020     |
|  | 27 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत | जुलाई, 2020". |

2. यह अधिसूचना 24 जून, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(85). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(85), दिनांक 06-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 6th July 2020

NOTIFICATION  
No. 51/2020 – State Tax

No. F 10-61/2020/CT/V(85). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) read with section 148 of the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in Notification No. 13/2017-State Tax, No. F-10-44/2017/CT/V(87), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 29th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 256, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below for the period mentioned therein, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in FORM GSTR-3B, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, namely:--

TABLE

| S. No.<br>(1) | Class of registered persons<br>(2)                                                                                                                                   | Rate of interest<br>(3)                                                                                  | Tax period<br>(4)                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.            | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year                                                                  | Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter till 24th day of June, 2020           | February, 2020, March 2020, April, 2020 |
| 2.            | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh. | Nil till the 30th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020      | February, 2020                          |
|               |                                                                                                                                                                      | Nil till the 3rd day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020       | March, 2020                             |
|               |                                                                                                                                                                      | Nil till the 6th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020       | April, 2020                             |
|               |                                                                                                                                                                      | Nil till the 12th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020 | May, 2020                               |
|               |                                                                                                                                                                      | Nil till the 23rd day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020 | June, 2020                              |
|               |                                                                                                                                                                      | Nil till the 27th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020 | July, 2020.”.                           |

2. This notification shall deemed to have come in to force from 24th June 2020.

By the order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

### अधिसूचना

संख्या 52/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(86). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 76/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच(123) दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 523 तारीख 31 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) तीसरे परंतुक में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

## "तालिका

| क्र.सं. | रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग                                                                                  | कर अवधि                                 | शर्त                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)     | (2)                                                                                                              | (3)                                     | (4)                                                                                 |
| 1       | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो                                      | फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल 2020 | यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है    |
| 2       | करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त करोड़ 5 रुपये तक हैं, जिनका मूल कारोबार का स्थान छत्तीसगढ़ है | फरवरी, 2020                             | यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 30जून, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है      |
|         |                                                                                                                  | मार्च, 2020                             | यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 से या उस पहले प्रस्तुत की जाती है  |
|         |                                                                                                                  | अप्रैल, 2020                            | यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 6जुलाई, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है     |
|         |                                                                                                                  | मई, 2020                                | यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 12सितंबर, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है   |
|         |                                                                                                                  | जून, 2020                               | यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 23 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है |
|         |                                                                                                                  | जुलाई, 2020                             | यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 27 सितंबर, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है  |

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुको को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

" परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत किसी कर अवधि में देयविलंब शुल्क को रुपये दो सौ पचास से अधिक अधित्यजन करती है जिन्होंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं:

परंतु यह भी कि यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं।"

2. यह अधिसूचना 24 जून, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच (86). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच (86), दिनांक 06-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 6th July 2020

NOTIFICATION  
No. 52/2020 – State Tax

No. F 10-61/2020/CT/V(86). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Notification No. 76/2018-State Tax, No. F-10-65/2018/CT/V(123), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 523, dated the 31st December, 2018, namely:—

In the said notification,–

(i) in the third proviso, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: –

"TABLE

| S. No.<br>(1) | Class of registered persons<br>(2)                                                                                                                                   | Tax period<br>(3)                                 | Condition<br>(4)                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year                                                                  | February, 2020,<br>March, 2020 and<br>April, 2020 | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24th day of June, 2020      |
| 2.            | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh. | February, 2020                                    | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020      |
|               |                                                                                                                                                                      | March, 2020                                       | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3rd day of July, 2020       |
|               |                                                                                                                                                                      | April, 2020                                       | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6th day of July, 2020       |
|               |                                                                                                                                                                      | May, 2020                                         | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 12th day of September, 2020 |
|               |                                                                                                                                                                      | June, 2020                                        | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 23rd day of September, 2020 |
|               |                                                                                                                                                                      | July, 2020                                        | If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 27th day of September, 2020 |

(ii) after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely : –

“Provided also that the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of an amount of two hundred and fifty rupees for the registered person who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020:

Provided also that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered person who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020.”.

2. This notification shall deemed to have come in to force from 24th June 2020.

By the order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

### अधिसूचना

संख्या 53/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(87). – सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 04/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(3) दिनांक 24 जनवरी, 2018 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 31-अ, तारीख 25 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के चौथे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को उन रजिस्ट्रीकृत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित महीनों या तिमाही के लिए जावक प्रदाय की विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-1 में नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित तारीख या उससे पहले प्रस्तुत करते हैं, अधित्यक्त करती है :

### तालिका

| क्र.सं.<br>(1) | माह/ तिमाही<br>(2)   | तारीख<br>(3)                |
|----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1              | मार्च 2020           | जुलाई, 2020 का 10वां दिन    |
| 2              | अप्रैल, 2020         | जुलाई, 2020 का 24वां दिन    |
| 3              | मई, 2020             | जुलाई, 2020 का 28वां दिन    |
| 4              | जून, 2020            | अगस्त, 2020 का 5 वां दिन    |
| 5              | जनवरी से मार्च, 2020 | जुलाई, 2020 का 17वां दिन    |
| 6              | अप्रैल से जून, 2020  | अगस्त, 2020 का 3 वां दिन।”। |

2. यह अधिसूचना 24 जून, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(87). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(87), दिनांक 06-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 6th July 2020

NOTIFICATION  
No. 53/2020 – State Tax

No. F 10-61/2020/CT/V(87). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Notification No. 04/2018-State Tax, No. F-10-2/2018/CT/V(3), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 24th January, 2018, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 31-A, dated the 25th January, 2018, namely :—

In the said notification, for the fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the months or quarter mentioned in column (2) of the Table below in FORM GSTR-1 by the due date, but furnishes the said details on or before the dates mentioned in column (3) of the said Table :—

TABLE

| Sl. No.<br>(1) | Month/ Quarter<br>(2)  | Dates<br>(3)                |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 1.             | March, 2020            | 10th day of July, 2020      |
| 2.             | April, 2020            | 24th day of July, 2020      |
| 3.             | May, 2020              | 28th day of July, 2020      |
| 4.             | June, 2020             | 05th day of August, 2020    |
| 5.             | January to March, 2020 | 17th day of July, 2020      |
| 6.             | April to June, 2020    | 03rd day of August, 2020.”. |

2. This notification shall deemed to have come in to force from 24th June 2020.

By the order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

### अधिसूचना

संख्या 54/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(88). — आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 29/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-35/2020/वाक/पांच(45) दिनांक 31 मार्च, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 178 तारीख 31 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवां परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में है, अगस्त, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ब में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 1 अक्टूबर, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।” ।

2. यह अधिसूचना 24 जून, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(88). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच(88), दिनांक 06-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 6th July 2020

## NOTIFICATION

No. 54/2020 – State Tax

No. F 10-61/2020/CT/V(88). — In exercise of the powers conferred by section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017(hereafter in this notification referred to as the said Rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Notification No. 29/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(45), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st March, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 178, dated the 31st March, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the fifth proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the month of August, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 1st day of October, 2020.”.

2. This notification shall deemed to have come in to force from 24th June 2020.

By the order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

## आदेश

सं. 01/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक.मांच (89). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'सीजीजीएसटी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 29 की उप-धारा (2), खंड (क) से खंड (ड) में वर्णित परिस्थितियों में उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का उपबंध करती है जो इस प्रकार प्रकार से है, जहां : -

- (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किए जाएं; या
- (ख) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
- (ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
- (घ) किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारम्भ नहीं किया है; या
- (ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा। करेगा।

और, सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) नोटिस की तामील (सुनवाई का अवसर) के लिए उपबंध करती है; उक्त उप-धारा के खंड (ग) और (घ) निम्न प्रकार से हैं :-

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या

और, धारा 30 की उप-धारा (1) रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध करती है।

और, सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के द्वारा, उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील फ़ाइल करने का उपबंध करती है और सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) अपील प्राधिकारी को सशक्त करती है कि, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, अपीलकर्ता तीन मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो, वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

और, सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा नोटिस तामील के द्वारा सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन बड़ी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीकरण रद्द हुए हैं और सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में रद्दकरण रद्दकरण आदेश के प्रतिसंहरण के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि, सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फ़ाइल करने की अवधि और सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) में विलंब के लिए क्षमा की अवधि भी व्यपगत हो गई है; रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके रजिस्ट्रीकरण सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन रद्द हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बावजूद अपने अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कराने में असमर्थ हैं। जी एस टी के एक नया अधिनियम होने के चलते, ये करदाता रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फ़ाइल के विनिर्दिष्ट समय अवधि, अवधि, जो रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर है, में नहीं कर पाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं;

अतः अब, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2020 है।

2. कठिनाइयों को दूर करने हेतु, यह इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फ़ाइल करने के लिए तीस दिन की अवधि की गणना हेतु, वे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और 12.06.2020 तक रद्दकरण आदेश पारित हुआ है, के लिए निम्नलिखित तिथियों में से उत्तरवर्ती तिथि को माना जाएगा:-

क) उक्त आदेश के संचार की तारीख; या

ख) अगस्त का 31 वाँ दिन

3. यह आदेश 25 जून 2020, से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच (89). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-61/2020/वाक/पांच (89), दिनांक 06-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 6th July 2020

ORDER

No. 01/2020 – State Tax

No. F 10-61/2020/CT/V(89). — WHEREAS, sub-section (2) of section 29 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the said Act) provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clauses (a) to (e) as under: -

- (a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or
- (b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or
- (c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or
- (d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or
- (e) registration has been obtained by means of fraud; willful misstatement or suppression of facts:

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 169 of the said Act provides for service of notice (opportunity of being heard); clauses (c) and (d) of said sub-section are as under: -

- (c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or
- (d) by making it available on the common portal; or

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 30 of the said Act provides for application for revocation of cancellation of theregistration within thirty days from the date of service of the cancellation order;

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 107 of the said Act provides for filing appeal by any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person and sub-section (4) of section 107 of the said Act empowers the Appellate Authority that it may, if he is satisfied that the appellant was prevented by

sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of one month;

AND WHEREAS, a large number of registrations have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the said Act by the proper officer by serving notices as per clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 169 of the said Act and the period of thirty days provided for application for revocation of cancellation order in sub-section (1) of section 30 of the said Act, the period for filing appeal under section (1) of section 107 of the said Act and also the period of condoning the delay provided in sub-section (4) of Section 107 of the said Act has elapsed; the registered persons whose registration have been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration; the said Act being a new Act, these taxpayers could not apply for revocation of cancellation within the specified time period of thirty days from the date of service of the cancellation order, as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (1) of section 30 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. Short title.-This Order may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2020.-

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating the period of thirty days for filing application for revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the Act for those registered persons who were served notice under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 169 and where cancellation order was passed up to 12th June, 2020, the later of the following dates shall be considered:-

- a) Date of service of the said cancellation order; or
- b) 31st day of August, 2020.

3. This order shall be deemed to have come into force from 25th June 2020.

By the order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.